

sizeable import content of raw materials which go into manufacture of such bags. Although a large number of small and medium scale plants are engaged in manufacture of HDPE woven sack, majority of the production is, however, controlled by large scale industry.

(d) and (e) The relevance of Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 arises from the need to ensure a fair share of market to both jute and HDPE woven sectors so that both can co-exist in harmonious manner and because of this reason Government does not propose to rescind the Act.

संसदों द्वारा मंत्रालय से किया गया पत्राचार

170. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1990 से 31 मार्च, 1993 तक की अवधि में संसदों द्वारा वस्त्र मंत्रालय को कितने पत्र लिखे गये और उनका वर्ष-वार ब्यौर क्या है;

(ख) उन पत्रों में से कितने पत्रों की प्राप्ति-रसीद भेजी गई;

(ग) कितने पत्रों के मामले में अन्तिम (फाइनल) उत्तर भेजे गये; और

(घ) मंत्रालय द्वारा क्रमसः 'हां' अथवा 'नहीं' में दिये गये अन्तिम (फाइनल) उत्तरों का ब्यौर क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के एककों का आधुनिकीकरण

171. श्री अहमद मोहम्मदभाई पटेल:
श्री सुरेश पचौरी:
श्री सोम पाल:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अपने 56 से अधिक एककों के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के लिए 5-सूत्रीय योजना अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें कौन-कौन सी हैं;

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अपनी मिलों के साथ-साथ निगम द्वारा अधिगृहीत मिलों का आधुनिकीकरण किए जाने से उनके किस सीमा तक व्यवहार्य होने की सम्भावना है;

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की आधुनिकीकरण योजना को किस सीमा तक पुनरुज्जीवित किया जाएगा;

(ङ) 5 सूत्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी; और

(च) क्या इस योजना में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा गया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) से (च) सूची वस्त्र अनुसंधान संघ ने एन टी सी की 79 मिलों का आधुनिकीकरण करने की एक योजना बनाई है जिस पर 2005.67 करोड़ रु० का व्यय होगा। ऐसी आशा है कि एन टी सी इस योजना के क्रियान्वयन के 2 वर्षों के भीतर अर्थक्षमता प्राप्त कर लेगा। यह योजना एन टी सी के मामलों पर परामर्श करने के लिए विशिष्ट समिति को प्रस्तुत कर दी गई है तथा इसके क्रियान्वयन से पहले इसका रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।